

पञ्जावली ग्राम पंचायत बोर्ड टोडी में पेशा हुई।
 राजस्व रिपोर्ट (कमबन्दी) संवत् 2070 से 2073 ग्राम
 टोडी के आयुक्त ग्राम टोडी के भूमि ख.नं. 298,490
 584, 585 किला - 4 कुल ख.नं 2.94 ही० एवं ख.नं
 440 ख.नं 0.90 ही० में वादी रामकरण पु० गिरधारी
 का हिस्सा 1/2 दर्ज रिपोर्ट है। वादी राजस्व रिपोर्ट
 में रामकरण पु० गिरधारी के बजाय रामकरण पु०
 मामा हुकमत करवावा -वा है। पञ्जावली में उपलब्ध
 इन्फार्मेशन (कमबन्दी) सं. 2066 से 2069 ग्राम टोडी
 एवं सं. 2062-2065, 2058 से 2061, 2054 से 2057
 से साबित होता है कि रामकरण के पिता का सही
 नाम मामा ही था। उक्त विवेचन के वादी का वादपत्र
 साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित
 प्रतीत होता है।

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम टोडी
 की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि ख.नं. 298,490
 584, 585 किला 4 एवं ख.नं 440 ख.नं 0.90 ही०
 में दर्ज रामकरण पु० गिरधारी के बजाय रामकरण
 पु० मामा हुकमत किसे जाने का आदेश दिया जाता है।
 राजस्व रिपोर्ट तदन्तर्गत राजस्व मुख्यालय राजस्व रिपोर्ट
 में उक्त नाम हुकमत करें। नाम हुकमत को कमावा
 शेष शर्तों के इन्दाजात व हस्तु र रहेगें।

पञ्जावली पंचायत मुख्यालय होकर गम्बर को काम हो तथा
 कार्रवाई फलपूर हो।

दिनांक 21.6.18 को पंचायत बोर्ड टोडी में
 मुगमा गया।

उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरगाड़ी (ख.नं.)